

समग्र प्रगति कार्ड

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (NCERT), [नषिपादन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिये ज्ञान का वशिलेषण, राष्ट्रीय शक्ति नीति 2020](#)

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (NCERT), शैक्षिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहल ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** ने एक नवीन 'समग्र प्रगति कार्ड' (HPC) पेश किया है, जो कक्षाओं में बच्चे की शैक्षणिक प्रदर्शन के अतिरिक्त, पारस्परिक संबंधों, आत्म-नरीक्षण, रचनात्मकता और भावनात्मक अनुप्रयोगों की प्रगति को मापेगा ।

नोट: HPCs को [नषिपादन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिये ज्ञान का वशिलेषण](#) द्वारा तैयार किया गया है, जो NCERT के तहत एक मानक-नरिधारण नकिया है, यह मूलभूत चरण (कक्षा 1 और 2), पारंपरिक चरण (कक्षा 3 से कक्षा 5) और मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) के लिये है । यह सुझाव **राष्ट्रीय शक्ति नीति (NEP) 2020** के अनुरूप है ।

समग्र प्रगति कार्ड (HPC) क्या है?

परचिय:

- यह छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिये एक नवीन दृष्टिकोण है जो अंकों अथवा ग्रेड पर पारंपरिक नरिभरता से भिन्न है ।
- इसके बजाय, यह एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है जो छात्र के विकास और अधगम के अनुभव के वभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है ।

वशेषताएँ:

- HPC मॉडल के तहत, छात्र सक्रिय रूप से उन कक्षीय गतिविधियों से जुड़ते हैं जसमें उन्हें अवधारणाओं की अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए कई कौशल और दक्षताओं को क्रियान्वति करने के लिये नरितर प्रोत्साहित किया जाता है ।
- कार्य नषिपादति करते समय उन्हें जसि कठिनाई स्तर का सामना करना पड़ता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में उस पर भी वचिर किया जाता है ।
- शक्षिक सहयोग, रचनात्मकता, सहानुभूति, मनन और तैयारी जैसे वभिन्न आयामों में छात्रों की ताकत तथा कमजोरियों का आकलन करने में काफी मदद मिलती है ।
- यह शक्षकों को उन कषेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ छात्रों को अतिरिक्त सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है ।
- HPC की एक खास बात यह है कि छात्रगण प्रत्यक्ष तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया का हसिसा होते हैं ।
 - छात्रों को अपने स्वयं के प्रदर्शन के साथ-साथ अपने सहपाठियों के प्रदर्शन का आकलन करने, उनके सीखने के अनुभवों और सीखने के परविश में अंतरदृष्टि प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।
- इसके अतिरिक्त HPC में माता-पति को उनके बच्चे के सीखने के वभिन्न पहलुओं के संबंध में उनकी राय मांगकर मूल्यांकन प्रक्रिया में उनका एकीकरण किया जाता है, जसमें गृहकार्य पूरा करना, कक्षा में भागीदारी और घर परपाठ्येतर गतिविधियों के साथ मोबाइल के उपयोग का संतुलन शामिल है ।

आवश्यकता:

- पठन सामग्री के समरण के अतिरिक्त, **HPC** छात्रों के बीच विश्लेषण, महत्त्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता सहित **उच्च-स्तरीय कौशल के मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है।**
- NEP के नरिदेशों के अनुरूप, **सकूल शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा** वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गई थी, जो साक्ष्य के व्यवस्थित संग्रह के माध्यम से छात्र की प्रगति का आकलन करने की दृष्टि में परिवर्तन का समर्थन करती है।
 - इसके अतिरिक्त, NCF SE छात्रों को स्वयं की अधिगम प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने में **सशक्त बनाने के लिये सहकर्मी और स्व-मूल्यांकन वधियों** को बढ़ावा देता है।
- छात्रों की प्रमुख दक्षताओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिये NCF SE **विविध कक्षा मूल्यांकन वधियों**, जैसे परियोजना, वाद-विवाद, प्रस्तुति, परीक्षण, अन्वेषण और रोल प्ले को शामिल करने का सुझाव देता है। HPC का अभिकल्पन इन सुझावों के अनुरूप है।

परख क्या है?

परिचय:

- परख/PARAKH का शुभारंभ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के कार्यान्वयन के भाग के रूप में किया गया था जिसमें एक मानक-नरिधारण निकाय के स्थापना की परिकल्पना की गई जिसका उद्देश्य मूल्यांकन हेतु नए प्रारूप और नवीनतम शोध के संबंध में विद्यालय बोर्डों को सलाह देना तथा उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना था।
- यह NCERT की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करती है।
- इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey- NAS) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण (State Achievement Survey- SAS) जैसे समय-समय पर **लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने** का भी कार्य सौंपा गया है।
- यह **प्रमुख रूप से तीन मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य करता है** जिनमें व्यापक मूल्यांकन, स्कूल-आधारित मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार शामिल है।

उद्देश्य:

- **समान मानदंड और दृष्टि-नरिदेश:** भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिये छात्र मूल्यांकन एवं नरिधारण हेतु मानदंड, मानक और दृष्टि-नरिदेश नरिधारित करना।
- **मूल्यांकन पैटर्न में सुधार:** यह 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिये स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित करेगा।
- **मूल्यांकन में असमानता को कम करना:** यह राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों में एकरूपता लाएगा जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे स्कोर में व्यापक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **बैचमार्क मूल्यांकन:** बैचमार्क मूल्यांकन ढाँचा रटने पर जोर देने पर रोक लगाने में सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** में परिकल्पना की गई है।

स्कूली शिक्षा हेतु NCF क्या है?

परिचय:

- **स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE), NEP 2020** के दृष्टिकोण के आधार पर इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिये विकसित की गई है।
- **NCF-SE का सूत्रीकरण NCERT द्वारा** किया जाएगा। अग्रिम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, NCF-SE दस्तावेज़ को **प्रति 5 से 10 वर्ष में एक बार पुनः परीक्षण और अद्यतन** किया जाएगा।

उद्देश्य:

- NCF-SE भारत में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों के साथ ही **शिक्षण प्रथाओं को विकसित करने हेतु एक दृष्टि-नरिदेश** के रूप में कार्य करता है।
- इसके उद्देश्यों में रटने (दोहराकर याद करने) से हटकर सीखने, शिक्षा को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने के साथ-साथ पाठ्यपुस्तकों से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना शामिल है।
- NCF-SE का उद्देश्य सीखने को **आनंददायक, बाल-केंद्रित एवं आत्मनरिभर बनाने** के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी है। यह माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की काउंसलिंग के लिये दृष्टि-नरिदेश प्रदान करता है साथ ही सभी आयु समूहों के लिये अनविर्य भी है।

भारत में शिक्षा से संबंधित कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

कानूनी प्रावधान:

- सरकार ने प्राथमिक स्तर (6-14 वर्ष) के बच्चों हेतु **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** के हिस्से के रूप में **सर्व शिक्षा अभियान** लागू किया है।
- माध्यमिक स्तर (14-18 आयु वर्ग) की ओर बढ़ते हुए, सरकार ने **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** के माध्यम से SSA को माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ा दिया है।
- उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** के माध्यम से सरकार द्वारा उच्च शिक्षा, जिसमें {स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) तथा MPhil/PhD} को संबोधित किया जाता है।

- इन सभी योजनाओं को **समग्र शिक्षा अभियान** की छत्र योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

■ **संवैधानिक प्रावधान:**

- राज्य के **नीतिनिदेशक तत्त्वों** के **अनुच्छेद 45** के प्रारंभ में यह निर्धारित किया गया था कि सरकार को संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।
- इसके अलावा, **अनुच्छेद 45** में **एक संशोधन** ने **छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों** के लिये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को शामिल करने के लिये इसके दायरे को व्यापक बना दिया।
- इस लक्ष्य की पूर्ति होने के कारण **86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002** ने **अनुच्छेद 21A** पेश किया, जिससे प्रारंभिक शिक्षा को नदिशक सिद्धांत के बदले मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया।

शैक्षिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- **प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम**
- **समग्र शिक्षा अभियान**
- **प्रज्ञाता**
- **मध्याह्न भोजन योजना**
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**
- **PM SHRI स्कूल**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

Q. भारतीय संविधान के नमिनलखिति में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 5
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 2, 3 और 4.
- (d) 1, 2, 3; 4: और.5

उत्तर- (d)

??????:

Q1. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की वविचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर वसितुत प्रकाश डालयि। (2021)

Q2. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? वसितुत उत्तर दीजयि। (2020)